# न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.

प्रकरण सं.–12/2016

पंजियन दि.11.08.2016
निर्णय दि. 28.03.2018

श्री देवजी उर्फ देवीलाल पटेल, निवासी थाणा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री बंशीदास पिता कुरीदास साधु, निवासी थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

––विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्**

उपस्थित :– 1. श्री अमृतलाल पंचाल, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री हितेन्द्र पटेल अभिभाषक, विपक्षी सं. 1 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, विपक्षी सं. 2 की ओर से

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत्, ग्राम थाणा की आराजी संख्या 1307 में से विपक्षी सं. 1 के नाम किये गये रकबा 10 बिस्वा के आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम थाणा का निवासी है तथा उसके कब्जे काश्त की पेतृक खाते की भूमि ग्राम थाणा में स्थित है, जिसका खसरा नम्बर 1328 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा होकर संयुक्त खाते में दर्ज हे। उक्त पेतृक जमीन पर प्रार्थी एवं अन्य खातेदार काबीज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी ने अपने खाते की उक्त वर्णित जमीन की सुरक्षा हेतु परकोटा बनाने का कार्य शुरू किया तो विपक्षी सं. 1 द्वारा एतराज किया तथा ट्रेक्टर लेकर जुताई हेतु गया तो विपक्षी सं. 1 ने कहा कि जिस जमीन से प्रार्थी अपने खेतो में आवागमन हेतु उपयोग में ले रहा है, वह उसने आवंटन कराई है, इसलिये प्रार्थी को जमीन से होकर नही जाने देगा। प्रार्थी ने इस पर नकल निकलवाई तो उसे जानकारी मिली की विपक्षी सं. 1 ने सांठ गांठ कर बिलानाम आराजी में से रकबा 10 बिस्वा भूमि जरिये मीसल नम्बर 863/02 के आवंटन

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

करवा ली है, जिसका वर्तमान खसरा संख्या 4181/1307 रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त जमीन डूंगरपुर बिछीवाड़ा मार्ग पर स्थित हो उक्त आवंटन से प्रार्थी के उक्त खेत में आवागमन का रास्ता अवरूद्ध हो गया है, जिससे आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 की तरफ से अभिभाषक नियुक्त हुए एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। विपक्षी सं. 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

प्रकरण में विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार डूंगरपुर से तलब की गई जो जरिये क्रमांक 426 दिनांक 15.03.2018 को मय पर्चा मौका नजरी नक्षा एवं जमाबंदी के प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है।

प्रकरण में उभयपक्षो की बहस समायत की गई। प्रार्थी के योग्य अभिभाषक का कथन है कि विपक्षी सं. 1 को आवंटित भूमि डूंगरपुर–सागवाड़ा मार्ग पर स्थित है, प्रार्थी की खातेदारी आराजी सं. 1328 के आगे स्थित होने से उक्त आवंटन अवैध होकर प्रार्थी की उक्त आराजी में आवागमन का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। प्रार्थी के योग्य अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि विपक्षी सं. 1 को किया गया आवंटन डूंगरपुर–बिछीवाडा मार्ग पर स्थित होकर नियमों के विपरित होने तथा आवंटन शर्तो की पालना नही होने से आवंटन निरस्त योग्य है, जिससे इसे निरस्त किया जावे।

विपक्षी सं. 1 के योग्य अभिभाषक का कथन है कि विपक्षी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बाद जांच मौका सर्वसम्मति से नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटन वर्ष 2002 में किया गया है, जिससे अब करीब 16 वर्षो पश्चात् तथा विधिवत खातेदारी अधिकारी प्रदान करने के पश्चात् निरस्त करना न्यायहित में नही है। विपक्षी सं. 1 के योग्य अभिभाषक ने नियमानुसार रास्ते की भूमि को छोडते हुए आवंटन होना बताते हुए प्रार्थी के खेत में आवागमन बंद नही होना जाहीर किया। विपक्षी सं. 1 के योग्य अभिभाषक ने भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने एवं 06 बिस्वा भूमि कृषि से अकृषि में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित होने से अब भूमि को निरस्त करना न्यायसंगत नही होना जाहीर किया। विपक्षी सं. 1 के अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि पर अपने पुराने कब्जे को प्रमाणित नही कराया है एवं न ही उसके द्वारा भूमि के आवंटन–नियमन हेतु ही कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया है। विपक्षी सं. 3 की तरफ से बहस में औपचारिक भाग लेते हुए अवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार भूमि का आवंटन करना तथा रिपोर्ट तहसीलदार को सही होना बताया।

कलक्टर (राजस्थान)

ला कलक्टर
डूंगरपुर

उभय पक्षो की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का आद्योपरांत अवलोकन किया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि विपक्षी सं. 1 को ग्राम थाणा की बिलानाम आराजी सं. 1307 में से रकबा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ जरिये मीसल नं. 863/02 दिनांक 30.01.2002 को आवंटित हुई है जिसका नवीन बटा नम्बर 4181/1307 कायम होकर विपक्षी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज हो चालु राजस्व रेकार्ड मे किस्म भूमि सुखी तृतीय 04 बिस्वा एंव आबादी आवासीय 06 बिस्वा है। प्रकरण में संलग्न तहसीलदार डूंगरपुर की रिपोर्ट दिनांक 15.03.2018 के अनुसार विपक्षी सं. 1 को आवंटित 10 बिस्वा भूमि जिसकी वर्तमान आराजी सं. 4181/1307 है, जो डूंगरपुर–बिछीवाडा रोड़ पर स्थित होकर नियमानुसार रोड़ सीमा छोडकर आवंटन हुई है। रिपोर्ट में आराजी नम्बर 4181/1307 के दक्षिण पश्चिम कोने पर बिछीवाड़ा की तरफ 02 बिस्वा भूमि पर वादी (प्रार्थी) अतिक्रमी होकर काबिज होना तथा शेष भूमि 08 बिस्वा पर आवंटी बंशीलाल पिता कुरीदास काबिज होना अंकित किया है। आराजी नम्बर 1328 व 1329 आवंटित आराजी नं. 4181/1307 के दक्षिण में लगी हुई है जो वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है, जिसमें पश्चिम की तरफ वादी श्री देवा पिता गला पटेल तथा पूर्व की तरफ प्रतिवादी श्री बंशीदास पिता कुरीदास साधु काबिज होकर काश्त करते है। प्रार्थी द्वारा वक्त भूमि आवंटन विवादित भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने के कोई साक्ष्य/सबुत प्रस्तुत नही किये है, जिससे प्रार्थी का उक्त भूमि पर वक्त भूमि आवंटन कब्जा होने का तथ्य प्रमाणित नही होता है। प्रार्थी का विवादित भूमि पर 0–02 बिस्वा तहसीलदार की रिपोर्ट में अतिक्रमण होना बताया है, जो विपक्षी सं. 1 की भूमि पर अतिक्रमण है। वक्त आवंटन उसके द्वारा भूमि आवंटन/नियमन हेतु आवेदन करना प्रमाणित नही है।

तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी की खतोदारी आराजी सं. 1328 के आगे लाल स्याही से दर्शित रकबा 02 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी अतिक्रमी है तथा शेष भूमि पर विपक्षी सं. 1 काबिज है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी उपरोक्त विवेचना अनुसार विपक्षी सं. 1 के नाम आवंटित आराजी संख्या 4181/1307 रकबा 10 बिस्वा बाबत् खारीज/निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर